(xviii) Need to review the decision to observe winter/summer vacations in courts

डॉ. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय यह चिंता का विषय है कि हमारे देश के न्यायालयों में 21/2 करोड़ से भी अधिक मामले लम्बित हैं और देश शीघ्र, सुलभ और सस्ते न्याय के आदर्श से बहुत दूर होता जा रहा है। प्रश्न यह उठता है कि क्या आज भी जहां लंबित मामलों की तादाद करोड़ों में है वहां ग्रीष्म कालीन एवं शरदकालीन अवकाश का क्या औचित्य है।

अध्यापन करने पर ज्ञात होता है कि हमारे देश की अदालतें अनेक प्रकार के अवकाशों के कारण एक साल में केवल 190 दिन की औसत से काम करती हैं। इन अवकाशों के कारण लंबित मामलों में दिन पर दिन बढ़ोत्तरी होती जा रही है और न्याय का उद्देश्य भटकता जा रहा है।

भारत गरीब देश है। यहां की जनता शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय चाहती है। मेरा निवेदन है कि न्यायालयों में ग्रीष्म/शरद अवकाश समाप्त समाप्त करने पर विचार किया जाये। इससे जहां एक ओर लंबित मामलों में कमी होगी वहां दूसरी ओर शासन का शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय देने का उद्देश्य भी पूरा होगा।